JETIR.ORG ISSN: 2349-5162 | ESTD Year : 2014 | Monthly Issue

JOURNAL OF EMERGING TECHNOLOGIES AND INNOVATIVE RESEARCH (JETIR)

An International Scholarly Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

भारत में घरेलू महिला श्रमिकों की समस्याएं: एक अध्ययन

सुरेश कुमार

शोधार्थी

विश्वविद्यालय समाजशास्त्र विभाग

ल.न.मिथिला विश्वविद्यालय

दरभंगा - 846004

ईमेल : sk20909@gmail.com

सार (Abstract):

भारत में कार्यरत अधिकांश महिला श्रमिक असंगठित क्षेत्र में काम करती हैं जिनमें से अधिकतर घरेलू महिला श्रमिक के रूप में कार्य करती हैं। परंतु आज घरेलू महिला श्रमिक कई सामाजिक - आर्थिक समस्याओं से ग्रसित है। वर्तमान श्रम कानून इनकी समस्याओं के प्रभावी समाधान में विफल ही रहा है। प्रस्तुत शोधपत्र में घरेलू महिला श्रमिकों के सामाजिक-आर्थिक दशा का अध्ययन किया गया है और कार्यस्थल पर मिलने वाली चुनौतियों को समझने का प्रयास किया गया है। साथ ही इनकी दशा में सुधार के लिए सुझाव भी प्रस्तुत किये गए हैं।

बीज शब्द (Keyword) :

असंगठित क्षेत्र, घरेलू श्रमिक, अकुशल श्रमिक , जी.डी. पी. ,न्यूनतम वेतन कानून, प्रवास

भूमिका (Introduction) :

भारत में श्रमबल का एक बड़ा हिस्सा असंगठित क्षेत्र में कार्यरत है। देश में कार्यरत महिला श्रमिकों का एक बड़ा हिस्सा इसी असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है जिनमें से अधिकतर घरेलू श्रमिकों के रूप में काम करती हैं। किन्तु आज घरेलू महिला श्रमिक कई समस्याओं - आर्थिक शोषण ,सामाजिक भेदभाव ,शारीरिक हिंसा, यौन उत्पीड़न आदि से ग्रसित है। वर्तमान श्रम कानून इनकी समस्याओं के समाधान में विफल ही रहा है।

केंद्रीय सांख्यकीय संगठन (CSO) असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत ऐसे उद्यमों को शामिल करता है जिनमें यदि पावर का प्रयोग न किया किया जाता हो तो बीस से अधिक कर्मचारी काम ना करते हों परंतु यदि पावर का प्रयोग हो रहा हो तो दस से अधिक कर्मचारी काम न करते हों। साथ ही इन उद्यमों में काम करने वाले श्रमिक किसी श्रम कानून यथा औद्योगिक विवाद कानून ,1948 के अधीन पंजीकृत नहीं होते हों। इन श्रमिकों को परिवार क्षेत्र (और परिणामत: असंगठित क्षेत्र) में शामिल किया जाता है।

राष्ट्रीय सैंपल सर्वेक्षण संगठन (2011-2012) ,के रिपोर्ट के अनुसार देश के कुल श्रमबल का 82.7 प्रतिशत असंगठित क्षेत्र में कार्यरत है जिनमें से लगभग 120 मिलियन असंगठित महिला श्रमिक है। यह देश के कुल महिला श्रमबल का 97 प्रतिशत है। घरेलू महिला श्रमिक इसी असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है।

सामान्य रूप से घरेलू महिला श्रमिक वे हैं जो पूर्णकालिक अथवा अंशकालिक रूप से घरेलू सेवाएं प्रदान करती हैं और बदले में एक निश्चित अवधि पर नियोक्ता से धन या वस्तुएं प्राप्त करती है। ध्यातव्य है कि इसके अंतर्गत नियोक्ता के परिवार के सदस्यों द्वारा किये जाने वाले घरेलू सेवाओं को शामिल नहीं किया जाता है।

कार्यावधि के आधार पर घरेलू महिला श्रमिकों को मुख्य रूप से दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है :

(i) पूर्णकालिक घरेलू श्रमिक - ये पूर्णकालिक श्रमिक किसी एक ही नियोक्ता को घरेलू सेवा प्रदान करते हैं तथा नियोक्ता के ही आवास परिसर अथवा नियोक्ता द्वारा प्रदत्त आश्रय-स्थान में निवास करते हैं। ऐसे घरेलू श्रमिक अधिकतर प्रवासी होते हैं जो बेहतर जीवन दशा और रोजगार के अवसरों के तलाश में ग्रामीण क्षेत्रों से नगरों में आते हैं।

(ii) अंशकालिक घरेलू श्रमिक - ये एक से अधिक नियोक्ताओं को एक निश्चित समय के लिए प्रतिदिन सेवा प्रदान करता है और कार्य समाप्ति के पश्चात प्रतिदिन अपने घर वापस लौट जाते हैं।

घरेलू श्रम या सेवाएं असंगठित क्षेत्र में तेजी से बढ़ने वाला सेक्टर है। हाल के दशकों में शहरी क्षेत्र में इसका तेजी से विस्तार हुआ है। इसके कई कारण हो सकते हैं। नगरों में कामकाजी महिलाओं की संख्या बढ़ी है और साथ ही परिवार की आमदनी भी बढ़ी है। ऐसे में गृहकार्य और घर में बच्चों एवं वृद्धों की देखभाल के लिए महिला घरेलू श्रमिकों की जरूरत पड़ी। दूसरी ओर गांवो में रोज़गार के अवसर सीमित रहे हैं। फलतः बड़ी संख्या में कृषि पर आश्रित श्रमिकों का पलायन नगरों की ओर हुआ है। नगरों में मात्र पुरुषों की मजदूरी से घर का खर्च नहीं चलता है. इसीलिए परिवार की आय में वृद्धि के लिए महिलाओं को भी काम पर जाना पड़ता है। परंतु अधिकतर महिलाएं अपनी अशिक्षा तथा अकुशलता के कारण नगरों में घरेलू श्रमिकों के रूप में कार्य करने को विवश होते हैं।

असंगठित क्षेत्र में कार्यरत बहुसंख्यक महिला श्रमिकों की कार्य दशा एवं जीवन-दशा अत्यंत दयनीय है। इनकी समस्याएँ बहुआयामी हैं। प्रथम असंगठित क्षेत्र की अपनी समस्याएं तो हैं ही साथ ही महिला होने के नाते इन्हें लिंग आधारित भेदभाव आदि का भी सामना करना पड़ता है।

साहित्य की समीक्षा (Review of Literature) :

यह शोध विषय से संबंधित साहित्य का मूल्यांकन रिपोर्ट है। प्रस्तुत सामाजिक शोध से संबंधित साहित्य का पुनरावलोकन निम्नलिखित है :

दुष्यंत (2022,सिंतबर 8) अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र टाइम्स ऑफ इंडिया में दुष्यंत का लिखा एक आलेख प्रकाशित हुआ है ,जिसका शीर्षक है - " Why Do We Treat Our Domestic Workers so Cruel". इस आलेख में भारत में घरेलू महिला श्रमिकों की समस्याओं और कार्य स्थल पर मिलने वाली चुनौतियों का जिक्र किया है। साथ ही समस्या के समाधान के लिए कुछ सुझाव भी दिए हैं। दुष्यंत बताते हैं कि भारत में घरेलू महिला श्रमिकों की संख्या सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2.76 करोड़ है जबकि अंतराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के अनुसार यह संख्या 2 से 8 करोड़ के बीच हो सकती है। दुष्यंत के अनुसार इनकी प्रमुख समस्या निम्नलिखित हैं :

(i) कम वेतन - काम के घंटे लंबे होते हैं परंतु वेतन कम दिया जाता है। वर्षों घरेलू सेवा देने के बाद भी नियोक्ता वेतन वृद्धि देना नहीं चाहते हैं। त्योहारों के अवसर पर साल में इन्हें वस्त्र और मिठाई आदि दिए जाते हैं।

(ii) सामाजिक भेदभाव - घरेलू महिला श्रमिकों को घर के शौचालय के इस्तेमाल की मनाही होती है। उन्हें अपार्टमेंट में पुरुष गार्ड के लिए बने शौचालय को इस्तेमाल करने को कहा जाता है जो गंदे और असुरक्षित होते हैं। इनके बर्तन भी अलग होते हैं।

(iii) क्रूरता - इसके अंतर्गत गाली-गलौज ,मारपीट तथा वेतन काट लेना अथवा रोकना शामिल है।

लेखक का मानना है कि समस्या का समाधान तभी हो सकता है जब व्यक्ति वर्ग, परिवार और जाति के प्रति अपनी निष्ठा को छोड़कर घरेलू श्रमिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए आगे आएगा।

लाहिड़ी,तृप्ति.(2017) ने दिल्ली शहर में कार्यरत पूर्णकालिक घरेलू महिला श्रमिकों की दयनीय दशाओं का अध्ययन किया है। ये काम की खोज में दूर दराज के क्षेत्रों- बिहार ,झारखण्ड,बंगाल और असम आदि से दिल्ली आई हैं। इन्हें घर के अन्दर कई अमानवीय स्थितियों का सामना करना पड़ता है जैसे - मारपीट ,गाली गलौज,काम के लंबे घंटे,भेदभाव करना, यौन शोषण करना, कम पगार देना, घर के सदस्यों से मिलने ना देना आदि। यद्यपि नियोक्ता से हुए अनुबन्ध में सेवा शर्तों का स्पष्ट उल्लेख होता है तथापि शायद ही इनका पालन किया जाता हो। घर के अंदर होनेवाले इनके शारीरिक,मानसिक एवं यौन उत्पीड़न को शोधकर्ता गुलामी का आधुनिक स्वरूप कहती हैं।

पॉल जी. डी. बिंगो , दत्ता,सुमंत.और मूर्ति आर. वेंकटेश (2011) ने अपने शोध अध्ययन में मुम्बई की घरेलू महिला श्रमिकों की कार्यदशा एवं जीवनदशा का अध्ययन किया है। इन्होंने प्राथमिक तथ्यों का संग्रहण मुम्बई की 1510 महिला घरेलू से किया है। इन्होनें अपने अध्ययन में विविध पक्षों यथा - जनसांख्यिकीय विशेषताओं , कार्य की प्रकृति, कार्यदशा, स्वास्थ्य सुविधाओं, निवास स्थान, सामाजिक सुरक्षा कानूनों तक उनकी पहुंच, श्रमसंगठनों के प्रति जागरूकता आदि का अध्ययन किया है। इन्होंने इन घरेलू महिला श्रमिकों की निम्न सामाजिक-आर्थिक दशा के मद्देनजर एक विस्तृत सामाजिक सुरक्षा कानून बनाने पर बल दिया है।

अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (2010) ने अपने अध्ययन में पाया कि भारत में विगत तीन दशकों में घरेलू श्रमिकों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। देश में आधुनिकीकरण क़े प्रभाव के कारण महिलाएं रोज़गार के लिए घर से बाहर निकलीं। साथ ही बड़ी संख्या में जीवकोपार्जन हेतु महिलाओं का पलायन नगरों की ओर हुआ। नगरों में

नाभिक परिवारों के उद्भव के कारण घरों में घरेलू श्रमिकों की आवश्यकता हुई। रिपोर्ट में इस बात को रेखांकित किया गया कि घरेलू श्रमिकों का एक बार तबका समाज में हाशिये पर रहे लोगों का है। इनमें मुख्यत: निम्न जाति के लोग हैं। साथ ही भारत में घरेलू श्रमिकों को निम्नतम मजदूरी कानून के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है।

वासंती (2010) ने अपने शोध अध्ययन में बताया है कि वर्ष 2006 से पहले तक सभी श्रम कानून असंगठित क्षेत्रों और घरेलू श्रमिकों पर लागू नहीं थे। प्रथम बार वर्ष 2006 में संशोधित बाल श्रम (प्रतिषेध और नियमन) अधिनियम,1986 में घरेलू श्रमिकों की बात की गई, परंतु इसके अंतर्गत घर (household) को कार्यस्थल (work place) के रूप में मान्यता नहीं दी गई। केवल वही काम जो घर की चारदीवारी के बाहर संपादित किये जाते हैं को कार्य (work) के रूप में मान्यता दी गयी जैसे ड्राइवर का कार्य।फलस्वरूप घर के अंदर सहायक/सहायिकाओं के रूप में किये गए काम मान्यता विहीन ही रहे।

ज्योति,भारत (2008) ने अपने एक शोध अध्ययन में महिला घरेलू श्रमिकों की सामाजिक - आर्थिक दशाओं का अध्ययन किया है। इन्होंने इनकी कार्यदशाओं और जीवन दशाओं का अन्वेषणात्मक अध्ययन किया है। इन्होंने पाया की देश में घरेलू महिला श्रमिकों के लिए कोई कानूनी सुरक्षा का प्रावधान नहीं है।

कुंडू ,अमित (2008) ने अपने शोध अध्ययन में कोलकाता शहर में काम करने वाली महिला घरेलू श्रमिकों की दशाओं का अध्ययन किया है। इन्होंने अपने अध्ययन में कोलकाता महानगर के सभी भागों को शामिल किया है। इन्होंने अपने अध्ययन में 300 अंशकालिक और 100 पूर्णकालिक घरेलू श्रमिकों को शामिल किया है। इन्होंने अध्ययन में पाया कि महिला घरेलू श्रमिक कई समस्याओं यथा- कार्य के लंबे घंटे ,छुटियों के अभाव,समय पर वेतन न मिलना, ओवरटाइम के लिए अतिरिक्त भुगतान न करना, बिना किसी पूर्व सूचना के कार्यमुक्त का देना आदि से जूझ रही हैं। इन्होंने सुझाव दिया कि सरकार को इनकी स्थिति में सुधार लाने के लिए नवीन योजनाएं बनानी चाहिए। साथ ही कानूनी प्रावधानों द्वारा इनके अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए।

सिंह,विनीता (2002) ने अपने अध्ययन में रांची शहर के घरेलू श्रमिकों की दशा का अध्ययन किया है। उन्होंने पाया कि अशिक्षा , अकुशलता और जागरूकता की कमी के कारण नियोक्ताओं द्वारा घरेलू श्रमिकों का शोषण किया जाता है।

मोघे,किरण (2007) ने अपने अध्ययन में पाया कि नगरीय भारत में कार्यरत महिलाओं में अधिकांश असंगठित क्षेत्र में कार्य करती हैं। इनकी कार्यदशा निम्न एवं मजदूरी कम होती है। नगरों में घरेलू महिला श्रमिकों को रोजगार तो सालों भर उपलब्ध होता है परंतु इनकी मज़दूरी काफी कम होती है। इनमे अधिकांश अशिक्षित या अल्प शिक्षित हैं। ये मुख्य रूप से घर में बर्तन धुलाई,घर की सफाई, झाड़ू पोछा, खाना बनाने, बच्चो की देखभाल, जैसी काम में लगी हैं। यहां इनका शारीरिक, मानसिक एवं यौन शोषण किया जाता है। इनमें कार्य असुरक्षा यथा - बीमारी आदि के कारण नौकरी छूटने अथवा निकाले जाने का भय व्याप्त होता है। गरीबी और अकुशलता के कारण वेतन भुगतान आदि के संबंध में इनकी मोलभाव की क्षमता काम होती है। इनका मानना है कि इनकी दशाओं में सुधार के लिए कार्यदशा,वेतन, अवकाश तथा ओवर टाइम के लिए भुगतान के संबंध में कानून बनाने की जरूरत है।

इस प्रकार साहित्य के पुनरावलोकन से स्पष्ट है कि घरेलू महिला श्रमिकों की समस्याएं बहुपक्षीय हैं जिसके सामाजिक,आर्थिक, मनोवैज्ञानिक और कानूनी पक्ष है।

शोध समस्या का उद्देश्य (Objectives of Research Problem)

प्रस्तुत शोध समस्या के निम्नलिखित उद्देश्य हैं :

1. घरेलू महिला श्रमिकों की सामाजिक एवं आर्थिक दशा का अध्ययन करना।
2. घरेलू महिला श्रमिकों की कार्य दशा एवं कार्य स्थल पर मिलने वाली चुनौतियों का अध्ययन करना।
3. सामाजिक सुरक्षा क़ानूनों की वर्तमान में उपादेयता की पड़ताल करना।
4. घरेलू महिला श्रमिकों की समस्याओं के समाधान हेतु सुझाव प्रस्तुत करना।

समस्या का विवरण (Statement of the Problem) :

घरेलु महिला श्रमिकों को कई आर्थिक समस्याओं से जूझना पड़ता है। अशिक्षा एवं अकुशलता के कारण इनकी मोलभाव की क्षमता कम होती है। फलस्वरूप नियोक्तता इनका आर्थिक शोषण करते हैं। काम की अवधि अधिक होती है किन्तु वेतन कम मिलता है। यह वेतन भी वर्षों तक एक ही रहता है। कोई वेतन वृद्धि ,बोनस, भत्ते आदि का लाभ नहीं मिलता है। संगठित क्षेत्र की तरह न्यूनतम वेतन क्या हो यह तय नहीं है। ओवरटाइम कार्य के लिए प्रायः कोई अतिरिक्त भुगतान नही किया जाता। संगठित क्षेत्र की भाँति कई

सुविधाओं यथा - सवैतनिक अवकाश,मातृत्व लाभ एवं स्वास्थ्य सुविधाओं आदि का अभाव होता है। बीमारी जैसे आकस्मिक स्थिति में भी अवकाश मिलना प्रायः कठिन ही होता है। साथ ही संगठित क्षेत्रो की तरह पेंशन और मुआवजा भी नहीं मिलता है। नौकरी की भी कोई सुरक्षा नहीं है। वेतन वृद्धि की मांग या लंबी बीमारी आदि के कारण नौकरी खोने का डर लगा रहता है।

इनकी सामाजिक समस्याएं भी कम जटिल नहीं है। घरेलू श्रमिकों को समाज में निम्न सामाजिक प्रस्थिति प्राप्त होती है। इन्हें कार्यस्थल पर सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ता है। इसके कई स्वरूप हो सकते हैं। प्रायः काम पर रखते समय नियोक्ता द्वारा धर्म और जाति पूछी जाती है। घरेलू महिला श्रमिक प्रायः निम्न जातियों से आती हैं। अतः कई घरों में इन्हें रसोई घर एवं पूजा घर में प्रवेश की अनुमति नहीं होती हैं। कई घरों में इन्हें शौचालय के उपयोग की अनुमति भी नहीं होती है। धर्म के आधार पर भी भेदभाव देखने को मिलता है। प्रायः हिन्दू घरों में मुस्लिम महिला घरेलू श्रमिक नहीं रखे जाते हैं।

महिला घरेलू श्रमिकों को लिंग आधारित भेदभाव का भी सामना करना पड़ता है। समान कार्यों के लिए पुरुष और महिला घरेलू श्रमिकों के बीच वेतन ,कार्य के घंटे आदि में अंतर होता है। समान वेतन की मांग करने पर नियोक्ता इन्हें शारीरिक और शाब्दिक रूप से प्रताड़ित करते हैं या नौकरी से निकाले जा सकते हैं।

हाल ही में गैर सरकारी संगठन MARG (Multiple Action Research Group) ने देश के दिल्ली सहित पांच शहरों में किये गए अपने एक अध्ययन में पाया है कि कार्यस्थल पर महिला घरेलू श्रमिकों के साथ घरेलू हिंसा के मामलों में वृद्धि हो रही है। जिनमे मारपीट ,गाली-गलौज, चोरी के इल्जाम में फंसाना जैसी घटनाएँ प्रमुख हैं। कई मामलों में वे कानून की रक्षक पुलिस द्वारा ही प्रताड़ित हो जाती है। दिल्ली सहित कई बड़े शहरों में सुरक्षात्मक कारणों से घरेलु श्रमिकों के लिए पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य है। ये उचित भी है परंतु कई मामलों इसकी पूरी प्रक्रिया अपमानजनक लगती है। ऐसा लगता है मानो वे अपराधी हों। जबकि ये बात अलग है कि खुद महिला श्रमिकों को नियोक्ता के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है और न ही दी जाती है।

इस प्रकार हम पाते हैं कि घरेलू महिला श्रमिकों की समस्याएं बहुआयामी हैं जिसको बिना सम्पूर्णता में समझे समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता है।

पद्धतिशास्त्रीय दृष्टिकोण (Methodological Approach) :

(i) शोध प्ररचना (Research Design) - प्रस्तुत शोध पत्र में अनुसंधान प्ररचना के प्रकार वर्णात्मक शोध प्ररचना (Descriptive Research Design) प्रयोग किया गया है। साथ ही समस्या के समाधान हेतु निदानात्मक शोध प्ररचना (Diagnostic Reserch Design) का भी प्रयोग किया गया है।

(ii) निदर्शन - यह एक सांख्यकीय अध्ययन पद्धति है. प्रस्तुत शोध पत्र में प्रतिदर्श (सैंपल) के चुनाव के लिए असंभाविता प्रतिदर्शन के एक प्रकार सुविधाजनक निदर्शन का उपयोग किया गया है।

(iii) तथ्य संग्रह के उपकरण - प्रस्तुत शोध पत्र में प्राथमिक और द्वितीयक दोनों प्रकार के आँकड़े प्रयुक्त किये गए हैं। साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग प्राथमिक आंकड़ों के संग्रह के लिए किया गया है।
द्वितीयक आँकड़े पुस्तकों, जर्नल, समाचार पत्रों और पत्रिकाओं से संग्रहित किये गए हैं।

(iv) सांख्यकीय विधि - इसके अंतर्गत मुख्य रूप से ग्राफ विधि ,डायग्राम और सारणीकरण का उपयोग किया गया है।

परिचर्चा और विश्लेषण (Discussion and Analysis) :

देश में संगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए कई केंद्रीय कानून हैं यथा - न्यूनतम मज़दूरी कानून 1948 , मातृत्व लाभ कानून 1961, बंधुआ मजदूर (रेगुलेशन और निवारण) कानून 1970 आदि। परंतु ये केंद्रीय कानून असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर लागू नहीं होते हैं। कुछ राज्य सरकारों ने घरेलू श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी कानून बनाये हैं परंतु ये राज्य गिनती के ही हैं। ये राज्य हैं - आंध्रप्रदेश , बिहार, कर्नाटक, केरल, राजस्थान,झारखंड और ओड़िसा । परंतु इन राज्यों द्वारा तय की गई न्यूनतम मजदूरी की दर काफी कम है जिससे जीवन यापन कर पाना मुश्किल है। देश में किसी केंद्रीय कानून का अभाव रहा है।

विगत वर्षों में केंद्र सरकार ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए कई विधान बनाये हैं यथा - बाल श्रमिक (रेगुलेशन और प्रतिषेध) कानून 1986, असंगठित श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा कानून 2008 ,कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम,निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 ।परंतु इन कानूनों के घरेलू श्रमिकों पर लागू होने के संबंध में कुछ कानूनी बाधाएं हैं। घरेलू श्रम को घरेलू सेवा के अंतर्गत मान लिया जाता है जिसे देश के जीडीपी के आकलन में भी शामिल नहीं किया जाता है। घरेलू क्षेत्र को कार्यस्थल के रूप में वैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं है।

दूसरे देश में महिला घरेलू श्रमिकों की संख्या के बारे में आधिकारिक आँकड़े सरकार के पास उपलब्ध नहीं हैं। ऐसे में इनके लिए कानून और कार्यक्रम बनाने में कठिनाई है।

हाल में केंद्र सरकार के श्रम और नियोजन मंत्रालय ने घरेलू श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए एक राष्ट्रीय कार्यबल का गठन किया है। इस कार्यबल के सुझाव पर एक राष्ट्रीय विधेयक का मसौदा (2017) तैयार किया गया है जिसके प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं:

(i) घरेलू श्रमिकों को असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों के रूप में पंजीकृत किया जाए ताकि उन्हें असंगठित श्रमिकों के सभी अधिकार और लाभ मिल सके।

(ii) इनकी कार्यावधि 48 घंटे प्रति सप्ताह सुनिश्चित किया जाए। साथ ही प्रतिदिन एक घन्टे का भोजनावकाश दिया जाए।

(iii) इन्हें न्यूनतम मजदूरी कानून के दायरे में लाया जाए।

(iv) इन्हें मातृत्व लाभ तथा बीमार पड़ने पर समुचित चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध करायी जाए।

(v) उन्हें अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए संगठन बनाने का अधिकार मिले।

(vi) उन्हें सभी प्रकार के शोषण और दुर्व्यवहार से सुरक्षा प्रदान की जाए।

(vii) घरेलू श्रमिकों के शिकायतों पर विचार करने के लिए शिकायत निवारण कोषांग की स्थापना की जाए। साथ ही कोर्ट और ट्रिब्यूनल तक उनकी पहुँच सुनिश्चित की जाए।

(viii) घरेलू महिला श्रमिक तथा निजी प्लेसमेंट एजेंसी दोनों अनिवार्य रूप से पंजीकृत किये जाएं।

(ix) घरेलू महिला श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा की जाए तथा इस एक्ट के प्रावधानों के उल्लंघन की दशा में दंड के प्रावधान किये जाएं।

निश्चितरूप से इस प्रस्तावित विधेयक से घरेलू श्रमिकों को फायदा होगा। किन्तु दुर्भाग्यवश अभी तक यह कानूनी रूप नहीं ले पाया है।

सुझाव (Recommendations):

घरेलू महिला श्रमिकों की दशा में सुधार के लिए कई स्तरों पर प्रयास करने होंगे:

(i) सरकारी स्तर पर महिला घरेलू श्रमिकों के लिए प्रस्तावित राष्ट्रीय विधेयक को यथाशीघ्र कानूनी रूप देना होगा। साथ ही विद्यमान कानूनी प्रावधानों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

(ii) गैर सरकारी संगठनों की भी भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। ये गैरसरकारी संगठन शिक्षा,स्वास्थ्य, कौशल आदि के विषय में घरेलू महिला श्रमिकों के बीच जागरूकता ला सकती है।

(iii) महिला घरेलू श्रमिकों को व्यवसायिक संगठन बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। यह संगठन शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठा सकती है। इस संगठन के द्वारा घरेलू महिला श्रमिक अपने अधिकारों के प्रति मुखरता से अपनी बात रख सकती है।

(iv) अंत में सामाजिक भेदभाव से मुक्ति पाने के लिए महिला घरेलू श्रमिकों के बारे में समाज में मजबूत जनमत बनाने की आवश्यकता है ताकि इनको समाज में एक सम्मानजनक स्थान प्राप्त हो सके।

निष्कर्ष (Conclusion) :

उपरोक्त परिचर्चा से स्पष्ट है कि महिला घरेलू श्रमिकों की समस्याएं बहुआयामी हैं जिसके सामाजिक ,आर्थिक, मनोवैज्ञानिक और कानूनी पक्ष हैं। अतः समस्या के समाधान के लिए समन्वित दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है ताकि इनकी सामाजिक - आर्थिक दशा और कार्यदशा में सुधार हेतु सामूहिक कार्यक्रम बनाया जा सके। तभी समस्या का समुचित समाधान हो सकेगा।

सन्दर्भ ग्रंथ :

1. Dushyant (2022,September 8). '*Why do we treat our domestic worker so cruelly'*. The Times of India : Ranchi Edition. https://timesofindia.indiatimes.com/india/why-do-we-treat-our-domestic-workers-so-cruelly/articleshow/93941274.cms
2. Neetha,N.(2019), "Working at Others' Homes : The Specifies and Challenges of Paid Domestic Work",Tulika Books,Chennai.
3. Mahanta,Upasana.Gupta,Indranath.(2019), "Recognition of the Rights of Domestic Workers in India:Challenges and the Way Forward",Springer Singapore.
4. Lahiri, Tripti (2017) ,"Maid in India", Aleph Book Company, New Delhi.
5. Madhumati,M.(2013), "Women in Urban Infomal Sector: A Study of Domestic Workers", Abhijeet Publications, New Delhi.
6. **यादव,प्रकाश रवि और कुमार,चंद्रदीप (2012) "भारत में महिला श्रमिक",न्यू सेंचुरी प्रकाशन, नई दिल्ली**
7. **राष्ट्रीय निदर्शन सर्वेक्षण संगठन रिपोर्ट (2011-12) ,सांख्यकी और कार्यान्वयन मंत्रालय ,भारत सरकार**
8. Prakasam, Seepana.(2012), "Domestic Women Workers in India",Shipra Publication,NewDelhi.

9. Paul Bino, G.D ,Datta Sushanta, and Murthy Venkatesh R. (2011) “Working and Living Conditions of Mumbai Women Domestic Workers: Evidence from Mumbai”,Adecco Tiss Lab : Our Research Initiative (ATLMRI), Discussions Paper 13, July 2011, pgs 3-5, 7.
10. Vasanthi , N. (2010),”Addressing Paid Domestic Work : A Public Policy Concern”,Economic and Political Weekly , Vol. XLVI , No. 43 , 22 October , 2010.
11. International Labour Organisation Report ,(2010) ”Female Labour Force Participation in India and Beyond”
12. Kundu,Amit (2008) “ Conditions of Work and the Rights of The Female Domestic Workers of Kolkata”, Munich Personal RePEc Archive, March 2008, pgs 2-4 ,16.
13. Bharat, Jyoti (2008),”Report on Socio-Economic Status of The Women Domestic Workers”,Ministry of WCD, pgs 2,11-13.
14. Singh,Vinita. (2008),“Female Domestic Workers : A case of Violated Human Rights”,Legal News and Views, Vol.16,No.1,pgs.14-17.
15. Moghe,Kiran (2007),”Understanding the Unorganised Sector” Infochange News & Features , September 2007. www.infochangeindia.org